

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाय की गई। जिसके अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का/आपडोएलओआरओ द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
 के अमल में प्रार्थना पत्र को दुरुस्त किया जा रहा है।
 पुत्र कोइ राम के आ अलाय सिकाराम
 पुत्र कोइ राम के आ अलाय सिकाराम

क्रमांक राजस्व/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :-

गूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अतिशय की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

7/12/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुशुभ (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खीरपुर	2075-78	148	सिकाराम पुत्र कोइ राम	सिकाराम पुत्र कोइ राम

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

राजस्व/2020/ 2069

दिनांक :- 7/12/21

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
 प्रार्थी/प्रार्थीया



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी